



कालिंदी कुंज मार्ग बंद होने का मामला एनएचआरसी पहुंचा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 20 जनवरी।

शाहीन बाग में चल रहे धरना और प्रदर्शन को लेकर पिछले एक महीने से दिल्ली- नोएडा को जोड़ने वाला कालिंदी कुंज मार्ग बंद है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर हो रहे विरोध के चलते चंद मिनट की दूरी तय करने में घंटों का समय लग रहा है। इसे लेकर नोएडा सेक्टर- 49 के रहने वाले मयंक राज ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में शिकायत दर्ज कराई है।

मयंक राज के मुताबिक कुछ लोगों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून समेत अन्य प्रावधानों के विरोध में किए जा रहे बंद को समाप्त करने में अपने आप को असहज महसूस कर रही है। जिसके चलते मानव अधिकार संहिता के अनुच्छेद- तीन, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन स्वतंत्रता एवं सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व है और अनुच्छेद 13 में एक व्यक्ति को कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, का हनन हो रहा है। यह तथ्य सामने होने के बावजूद एक महीने से सरकार मूकदर्शक बनी है।